रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 1976/ज्येष्ठ 14, 1898
No. 190] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 1976/JYAISTHA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL ... GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 3rd June 1976

G.S.R. 390(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of Section 10 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor-General from the responsibility for compiling the accounts of—

(a) The Ministry of Agriculture and Irrigation,
(b) The Ministry of Chemicals and Fertilizers,
(c) The Ministry of Commerce,
(d) The Ministry of Energy,
(e) The Ministry of Petroleum,
(f) The Ministry of Shipping and Transport,
(g) The Ministry of Steel and Mines,
(h) The Ministry of Supply and Rehabilitation, and
(i) The Ministry of Works and Housing.

2. This order shall come into force on the 1st day of July, 1976

[No. 1(15)-B/(A/cs)/76]

By order and in the name of the President.

K. N. ROW, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1976

सा० का० नि० 390 (अ).—नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उपधारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श कर उन्हें निम्नलिखित मंत्रालयों के लेखे तैयार करने के दायित्व से मुक्त कर दिया है :

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(3) वाणिज्य मंत्रालय

(4) ऊर्जा मंत्रालय

(5) पैट्रोलियम मंत्रालय

(6) नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(7) इस्पात और खान मंत्रालय

(8) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(9) निर्माण और आवास मंत्रालय

2. यह आदेश पहली जुलाई, 1976 से लागू होगा ।

[सं० 1(15)-बी/(अकाउण्ट्स)/76]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976